

Order No:-04R/2021-22

केंद्रीय विद्यालय संगठन(मु.)
18,संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक-09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश


माननीय सांसद **Smt. Phulo Devi Netam** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या.739 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गतसत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	SIDDHI SAXENA	SH. ANUJ SAXENA MOB- 8839758783	1	NO.2 RAIPUR
2	SOMIYA SHARMA	SH. MANOJ SHARMA MOB- 9425214188	3	NO.2 RAIPUR
3	YOAL FRANCIS	SH. EITYAS FRANCIS MOB- 8962538556	5	NO.2 RAIPUR
4	BHAIRVI TIWARI	SH. CHINTAMANI TIWARI MOB- 8966905574	6	DHAMTARI
5	ADITI DEVANGAON	SH. KAMLESH DEVANGAON MOB- 9399467172	7	NO.2 RAIPUR
6	TUSHANT KUMAR SAHU	SH. GURUSHRAN SAHU MOB- 9827267600	8	DHAMTARI
7	ABHIMANYA PANDAY	SH. NEERAJ KUMAR PANDAY MOB- 9131971232	8	DHAMTARI
8	SIYORA MARKAM	SH. OMPRAKASH MARKAM MOB- 6266860318	4	KONDAGAON
9	SHIVANSH SINGH THAKUR	SH. AMIT SINGH THAKUR MOB- 8839758783	4	NO.2 RAIPUR
10	TANESHKA CHANDRAKAR	SH. KAUSHAL KUMAR CHANDRAKAR MOB- 7049251250	5	KONDAGAON

प्र. ठाकुर कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Smt. Phulo Devi Netam माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **RAIPUR** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)